रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1995/ज्येष्ठ 8, 1917
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1995/JYAISTHA 8, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1995

सा.का.नि. 453 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1995 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्ररूप 1 में क्रम संख्यांक 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5क—वह तारीख, जब से केबल टेलीविजन नेटवर्क कार्य कर रहा है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है" ।

[फा. सं. 9/2/95–पी.बी.सी.]

नवीन चावला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. 729 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1995

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government makes the following amendments in the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in Form 1, after serial number 5, the following shall be inserted, namely :—

"5A—Date from which the cable television network is operating/proposed to be set up."

[File No. 9/2/95-PBC]

NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal notification has been published vide G.S.R. 729(E) dated 29th September, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995